126

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

रामप्रसाद वल्द कन्हैयालाल चौबे निग 3034-I/16

निवासी ग्राम गोदई थाना [illegible] जैसीनगर

तहसील व जिला सागर म0प्र0 --- निगरानीकर्त्ता / आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्त्ता । आवेदक न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1617 बी । 121, वर्ष 2016-16 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि मौजा गोदई पटवारी हल्का नंबर 59।185 राजस्व निरीक्षण मण्डल जैसीनगर में स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 0-07 एकड़ पर निगरानीकर्ता का सौ साल से मकान बना होने के कारण आवेदक निगरानीकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि के व्यवस्थापन्न हेतु श्रीमान नायब तहसीलदार जैसीनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और श्रीमान नायब तहसीलदार जैसीनगर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 498।बी।121, वर्ष 1995-96 पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किये जाने के उपरान्त ग्राम पंचायत [illegible]रिया को ग्राम सभा से प्रस्ताव एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 244 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकारों पर गृहस्थल दिये जाने का प्रमाण पत्र जारी करते हुए दिनांक 22-11-1996 को पट्टा प्रदान किया गया था, तब से निरन्तर

-2

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3034–एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामप्रसाद विरूद्व म0प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित. अनावेदक की और से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित. उभयपक्षो के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये. 2–यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला–सागर द्वारा प्रकरण कमाक 1616/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है. 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों पर ही बल देते हुए पुनरीक्षण आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताकर निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया. 4– उभयपक्षों के तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से में यह पाता हूॅ कि आवेदक के हित में नायब तहसीलदार जेसीनगर द्वारा अपने राजस्व प्रकरण	अ

कमांक 498/बी-121/1995-96 पंजीबद्ध कर उक्त प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए आवेदक के हित में मौजा गोदई पटवारी हल्का कमांक 59/185 राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसीनगर में स्थित भूमि आबादी सर्वे कमांक 17 रकबा 0.07 एकड पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 244 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22-11-1966 को भूमिस्वामी अधिकारों पर गृहस्थल दिये जाने हेतु पटट्ा प्रदान किया गया था. जिस पर आवेदक द्वारा मकान निर्मित कर उस पर उसका आधिपत्य है. प्रकरण के अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नही दी गयी है. प्रकरण के अवलोकन से यह भी तथ्य मेरे सामने आया कि जनसुनवायी के तथाकथित रूप से लगभग 20 वर्ष पश्चात कलेक्टर के समक्ष की गयी शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही प्रारंम्भ करते हूए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है. प्रकरण में मेरे समक्ष यह प्रश्न है कि क्या इतने समय पश्चात कार्यवाही करते हुए पटट्ा निरस्त किया जा सकता है? तथा क्या अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर के समक्ष जनसुनवायी में की गयी शिकायत के आधार पर कार्यवाही प्रारंम्भ करने का अधिकार

प्राप्त है. मेरे मत में विधि की यह सुस्थापित मंशा है कि लम्बे समय पश्चात कार्यवाही करने के पश्चात स्वमेंव पुनरीक्षण अथवा अन्य प्रकार से कार्यवाही करते हुए किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार से वंचित नही किया जाना चाहिये. प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि 20 वर्ष पश्चात ऐसे आदेश को जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई चुनौती नही दी गयी उसे तथाकथित शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है. माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई न्यायसिद्धान्तों द्वारा यह मार्गदर्शित किया है कि लम्बे समय पश्चात स्वयमेंव पुनरीक्षण अथवा अन्य कोई कार्यवाही नही की जा सकती है. अनुविभागीय अधिकारी को भी जनसुनवायी में की गयी शिकायत पर कलेक्टर महोदय से प्राप्त निर्देश पर कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त नही था क्यों कि शिकायत के आधार पर कार्यवाही स्वयं वही कर सकता है जिसे शिकायत की गयी हो. उपरोक्त विवेचना के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1617-बी-121/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2016 विधि विपरीत होने से तथा विचाराधिकार रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है. अतः अनुविभागीय अधिकारी

सागर का आदेश निरस्त किया जाता है, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है. अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापस किया जाये. उभयपक्ष सूचित हो. इस न्यायालय का अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जाये.

सदस्य